

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
122	अधीक्षण	260000000
1208	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	100 *
1222	मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	700 *
1352	चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर	4800100
1353	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर	19390100
1473	जिला चिकित्सालय	617760000
1502	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था -मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	38200000
1509	जिला स्थापना	500000
1510	जिला स्थापना	3491000
1513	जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	100 *
2182	नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	300000000
2216	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	5500000
2283	निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)	40000000
2323	निर्देशन और प्रशासन	1606000
2407	निर्वाचन	140000000
2418	निष्पादन	100 *
2450	न्याय प्रशासन	20000000
2457	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	50000300
2549	पशु औषधालय एवं चिकित्सालय	460000
2668	पोलीटेक्निक संस्थाएं	100 *
2710	प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालय	100 *
3115	भू अर्जन हेतु मुआवजा	100 *
3255	विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	600000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
3321	मत्स्यालय	10000000
3370	संचालनालय उद्योग	760000
3490	माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	100*
3566	मुख्यालय स्थापना	200*
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	15800000
3775	रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	10000000
3855	लोक निर्माण कार्य - भवन	10000100
3858	लोक शिक्षण संचालनालय	1150000
4007	विधान सभा	27000000
4149	वृहद पुलों का निर्माण	30000000
4151	वृहद पुलों का निर्माण	18000000
4220	शिक्षा - चिकित्सा महाविद्यालय	2700000
4280	संग्रह प्रभार	100*
4281	संग्रह प्रभार - बिजली शुल्क	1000000
4295	संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	700000
4296	संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था	400000
4491	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	56095830
4544	सी. आई. डी. (इकानामिक आफेंसेस)	2000000
4727	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	60000100
492	आव्हान पर होने वाला व्यय	140000000
4948	डिक्री धन का भुगतान (भारित)	5000000
5065	अन्नपूर्णा योजना	8010000
515	इन्जीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान, भवनों का निर्माण	6732099

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा 1-2

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
5205	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	1000000
5226	मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि	69200000
5354	एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)	30000000
5403	पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	50000000
5480	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275 (1))	238095000
5571	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना	29800000
5591	अन्नपूर्णा दाल भात केन्द्रों को प्रोत्साहन सहायता	14687000
5620	पशुरोग नियंत्रण	21733000
5664	ग्रामीण क्षेत्र (सामान्य) के अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण	29320000
5689	चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर	5000000
578	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	100 *
583	उच्चतर माध्यमिक शालाएं	100 *
5848	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान	500000000
5918	सामान्य प्रशासन विभाग	225060816
5998	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	200 *
6112	मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय	1400000
620	उप स्वास्थ्य केन्द्र	2900000
6222	न्याय प्रशासन के आवासगृह का निर्माण	32000000
629	उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	4066000
6299	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	1024065000
6582	भारतीय संसदीय संघ को अंशदान	3500000
6590	नाबार्ड ऋण सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	300 *
6705	राज्य सूचना आयोग	700000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 3

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1000000
6757	बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	10000100
6758	कृषि पंपो का ऊर्जीकरण	750000000
6781	पशुपालन विभाग-भवन	1320000
6923	स्टेट ट्रेनिंग एवं डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर	400 *
6964	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता	3428000
6968	चिकित्सा महाविद्यालय , बिलासपुर	9119918
6996	चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	24400000
6997	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायगढ़	100 *
717	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	15275100
7241	नगरीय निकायो का अधोसंरचना विकास	1253125100
7260	नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु अनुदान	432399000
7323	भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान	15157000
7330	मितानिन कल्याण निधि	300000000
7353	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	335600000
7434	मात्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा हेतु अनुदान	86835000
7437	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	52510000
7475	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	100 *
7491	निःशक्त जनो को बाधा रहित सुविधाओं का विकास	68859166
7586	वर्ष 2011 का जनगणना कार्य	80000000
761	कन्या शिक्षा परिसर	3000000
7611	गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण	37763000
7614	राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड	3000000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान**

	योजना क्रमांक एवं नाम	प्रावधान (रूपये में)
7620	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	1000000000
7626	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाएँ से स्थानीय विकास कार्यक्रम	220866000
7672	वनबंधु कल्याण योजना	21578000
7673	विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	32651000
7685	स्मार्ट सिटी	40000000
7693	सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान	100000000
7708	प्रशासनिक सुधार आयोग	1210000
7718	आपातकालीन सेवाएं	8500000
7730	राष्ट्रीय आयुष मिशन	99900000
7747	महतारी जतन योजना	300 *
7759	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	250000000
7769	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण	500 *
7785	पूँजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता	70000000
7810	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग	2061000
7811	डॉयल 100/112	5906000
7849	छ.ग. राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन	200000000
7860	अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	500000000
7864	छत्तीसगढ़ योग आयोग	20000000
7865	7.8 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2027	1248000000
7866	7.88 प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2027	1103200000
7867	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	131976000
7868	राजभवन एवं मुख्यमंत्री भवन के उद्यानों का रखरखाव	3500000
7869	कोटा नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना	10000

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7870	कुदरगढ़ नलजल प्रदाय योजना	10000
7871	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोगशाला की स्थापना	31206324
7872	पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	293513000
7873	विशिष्ट पहचान (आधार) परियोजना	3900000
7874	एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	83333000
7875	शुचिता योजना	100000000
7876	चयनित जिलों हेतु नवाचार तथा गैप फंडिंग	350000000
7877	मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना	200000000
7878	सेरीखेड़ी विशेष आवास योजना अंतर्गत विद्युत अधोसंरचना का विकास कार्य	100 *
791	कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय	700100
8050	छात्रवृत्तियां	35400000
8071	पोलीटेकनिक भवनों का निर्माण	5000000
8351	विस्तृत मृदा सर्वेक्षण	10000000
8622	चिरमिरी आवर्धन जल प्रदाय योजना	50000000
8650	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	500000000
8659	अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति	250000000
8933	शक्कर वितरण योजना	1000000000
8939	चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव	20000200
8940	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय सरगुजा	100 *
8941	चिकित्सा महाविद्यालय सरगुजा	4000000
8950	चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय जगदलपुर	5000100
8961	कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	1000 *
8965	मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना	106324600

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 6

**प्रथम अनुपूरक अनुमान 2017-18 में योजनावार प्रावधान**

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
8988	केन्द्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय ब्रुसलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	3000000
9002	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	100 *
9064	मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	82000000
9131	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगन वाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	110000000
9182	इन्दिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय	100 *
9410	हज कमेटी को सहायक अनुदान	100 *
<b>योग</b>		<b>17775724453</b>

नोट:\* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 7